न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

करण संख्या 148/2019

राजेन्द्र आयु 58 वर्ष पुत्र स्व0 बीरबल, जाति जाट, निवासी रामपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।

–– आवेदक

बनाम

1. श्री सादुराम जाट, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर, जिला झुंझुनू।
2. बनवारी पुत्र भींवराम जाति जाट, निवासी आनन्दपुरा तन कांट, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं हाल निवासी रामपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
3. दयानन्द पुत्र अमीलाल, जाति जाट, निवासी रामपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
4. फुली देवी स्त्री बलवन्ता, जाति जाट, निवासी रामपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
5. शीशराम पुत्र बीरबल, जाति जाट, निवासी रामपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
6. महेन्द्र प्रताप लम्बोरिया पुत्र गुगनराम, जाति जाट, निवासी हरिपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
7. राकेश कुमार पुत्र बलवन्त, जाति जाट, निवासी रामपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
8. विकास पुत्र रामरतन, जाति माली, निवासी रामपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
9. शंकर पुत्र सुरजाराम, जाति माली, निवासी रामपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
10. शीशराम पुत्र अमीलाल, जाति जाट, निवासी रामपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
11. सुरेश कुमार पुत्र बलवन्ता, जाति जाट, निवासी रामपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
12. सरोज पुत्री हरफूल, जाति माली, निवासी रामपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
13. सुशीला पुत्री केदार, जाति माली, निवासी रामपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
14. तहसीलदार, मलसीसर, जिला झुंझुनूं।

–– अनावेदक

उपस्थितः–

1. श्री राजेश पूनिया, अभिभाषक – आवेदक की ओर से।
2. श्री विनोद कुमार गिल, अभिभाषक – अनावेदक संख्या 2 व 12 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – अनावेदक संख्या 1 व 14 की ओर से।

– – –

अन्तरण प्रार्थना पत्र अ0धारा 235, राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

– – –

आदेश

दिनांक 04.10.2021

उक्त विषयक प्रार्थना पत्र आवेदक ने विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के बाबत किये जाने स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 23/2021 उनवानी राजेन्द्र बनाम बनवारी किस्म मुकदमा 88, 53 एवं 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं मुकदमा संख्या 48/2021 उनवानी राजेन्द्र बनाम बनवारी किस्म मुकदमा धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनवानी प्रकरण मुकदमा संख्या 23/2021 उनवानी राजेन्द्र बनाम बनवारी किस्म मुकदमा 88, 53 एवं 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं मुकदमा संख्या 48/2021 उनवानी राजेन्द्र बनाम बनवारी किस्म मुकदमा धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के समक्ष विचाराधीन है जिनमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.09.2021 नियत

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

। उक्त उनवानी मूल वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की उसमे दिनांक 0.03.2021 से अनावेदक नं0 2 के विरूद्व उक्त एकपक्षीय निषेधाज्ञा है। अदालत मातहत के समक्ष भी प्रतिवादीगण व अनावेदकण की तलबी मे नियत है। उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के न्यायालय पीठासीन अधिकारी अधिकारी अनावेदक नम्बर 1 सादुराम जाट है। दिनांक 10.08.2021 को नावेदक नं0 1 पीठासीन अधिकारी ने आवेदक राजेन्द्र को इजलास मे कहा कि आपने झूठा कदमा क्यों चला रखा है। आपका दावा चलने योग्य नही है या तो आप उक्त मुकदमे को हटा लो रना दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दूंगा। दिनांक 10.08.2021 के वाद करण तामिल मे होने के बावजूद भी आगामी पेशी दूसरे दिनांक 11.08.2021 की नियत की दिनांक 1.08.2021 से दिनांक 17.08.2021 नियत की दिनांक 17.08.2021 से दिनांक 24.08.2021 नियत की देनांक 24.08.2021 से 31.08.2021 नियत की एवं 31.08.2021 के बाद दिनांक 08.09.2021 नियत की। उक्त वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे पारित आदेश 10.03.2021 के विरूद्व अनावेदक शीशराम ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनूं के यहां अपील पेश की जिसमे अदालत मातहत की पत्रावली संख्या 48/2021 को तलब करने के लिए मिसल तलबी की चेट्ठी दिनांक 24.08.2021 को अनावेदक नं0 1 को उपलब्ध करवा दी थी उसके बावजूद भी अनावेदक नं0 1 प्रार्थना पत्र अस्थाई की मिसल को अपीलीय न्यायालय मे नही भेज रहा है। अनावेदक नं0 1 आवेदक को धमकी देता है कि वह प्रार्थना पत्र अस्थाई मे पारित स्थगन आदेश दिनांक 10.03.2021 को खारिज करके पत्रावली अपीलीय न्यायालय मे भेजूंगा। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी अनावेदक नं. 1 के उपर वर्णित आचरण के कारण आवेदक को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी अनावेदक नं. 1 से निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नही है। पीठासीन अधिकारी अनावेदक नं. 1 विपक्षी पक्षकार बनवारी पुत्र भींवाराम के प्रभाव में है। उक्त बनवारी पुत्र भींवाराम का नजदीकी रिश्तेदार बनवारी के पुत्र विकास का साला सुनिल कुमार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो शाखा झुंझुनूं में पद स्थापित है जिसके प्रभाव में भी अनावेदक न. 1 है। इस कारण प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 व 2 में वर्णित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के न्यायालय से नियमित विचारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किया जाना न्यायोचित है। अतः अन्तरण प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजूदा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 व 2 में वर्णित प्रकरण दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के न्यायालय से नियमित विचारण हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में विचारण हेतु अंतरित किया जावे

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट मलसीसर से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट मलसीसर ने पत्रांक 935 दिनांक 21.09.2021 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी (आवेदक) राजेन्द्र कुमार के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0 एक्ट 1955 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। अनावेदक सं0 1 बनवारी पुत्र श्री भींवाराम जाति जाट के विरूद्व उक्त एकपक्षीय निषेधाज्ञा है। बाकी सभी प्रतिवादीगण (अनावेदकगण) की तलबी हो चुकी है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य पीठासीन अधिकारी पर इलजाम मनगढन्त है अदालत की कार्यवाही नियमानुसार ही जारी है। बनवारी पुत्र भींवाराम जाति जाट जिसके विरूद्व एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो रखी है उनके विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद मे जबाब दावा प्रस्तुत हो रखा है। इस प्रकार वकील प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रति प्राप्त करने के बावजूद व बहस करने के बार–बार व अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी बहस नही करके उक्त प्रा0प0 बाबत स्थानान्तरण पेश किया है। प्रकरण मे अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 10.03.2021 बनवारी पुत्र भींवाराम (उक्त स्थानान्तरण्एा प्रा0प0 कम संख्या 2) के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा पारित है।

कलक्टर झुन्झुनूं

बकि न्यायालय आर0ए0ए0 कैम्प झुंझुनूं के यहां अपील अनावेदक शीशराम ने की है। उक्त मिसल 2.09.2021 तक भिजवाई जानी है। वर्तमान मे प्रा0पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत होने के कारण न्यायालय रा श्रीमान् न्यायालय आर0ए0ए0 कैम्प झुझुनूं को नही भिजवाई जा सकी। बाकी आक्षेप मनगढन्त । यदि श्रीमान् उक्त प्रकरण/पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय मे अन्तरित किया जाता है तो स न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे पारित आदेश 0.03.2021 के विरूद्व अनावेदक शीशराम ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनूं के यहां अपील पेश की जिसमे अदालत मातहत की पत्रावली संख्या 48/2021 को तलब करने के लिए मिसल तलबी की चिट्ठी दिनांक 24.08.2021 को अनावेदक नं0 1 को उपलब्ध करवा दी थी उसके बावजूद भी अनावेदक नं0 1 प्रार्थना पत्र अस्थाई की मिसल को अपीलीय न्यायालय मे नही भेज रहा है। अनावेदक नं0 1 आवेदक को धमकी देता है कि वह प्रार्थना पत्र अस्थाई मे पारित स्थगन आदेश दिनांक 10.03.2021 को खारिज करके पत्रावली अपीलीय न्यायालय मे भेजूंगा। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी अनावेदक नं. 1 के उपर वर्णित आचरण के कारण आवेदक को अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी अनावेदक नं. 1 से निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नही है। पीठासीन अधिकारी अनावेदक नं. 1 विपक्षी पक्षकार बनवारी पुत्र भींवाराम के प्रभाव में है। उक्त बनवारी पुत्र भींवाराम का नजदीकी रिश्तेदार बनवारी के पुत्र विकास का साला सुनिल कुमार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो शाखा झुंझुनूं में पद स्थापित है जिसके प्रभाव में भी अनावेदक न. 1 है। इस कारण प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 व 2 में वर्णित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के न्यायालय से नियमित विचारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरित किया जाना न्यायोचित है। अतः अन्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजूदा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 व 2 में वर्णित प्रकरण दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के न्यायालय से नियमित विचारण हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में विचारण हेतु अंतरित किया जावे

वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 12 ने वकील आवेदक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा वर्णित प्रकरणों मे नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। अनावेदक सं0 1 व 2 पर लगाये गये आरोप मिथ्या व निराधार है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिजफरमाया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय मे सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई आपति नही होना बताया है। पक्षकारों को उचित न्याय मिले व न्याय होता हुवा भी प्रतीत हो उनके मन में पीठासीन अधिकारी के प्रति कोई शंका न हो । इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मुकदमा संख्या 23/2021 उनवानी राजेन्द्र बनाम बनवारी किस्म मुकदमा 88, 53 एवं 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं

A

कदमा संख्या 48/2021 उनवानी राजेन्द्र बनाम बनवारी किस्म मुकदमा धारा 212 राज0 काश्तकारी धिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के न्यायालय में थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मुकदमा संख्या 3/2021 उनवानी राजेन्द्र बनाम बनवारी किस्म मुकदमा 88, 53 एवं 188 राज0 काश्तकारी धिनियम 1955 एवं मुकदमा संख्या 48/2021 उनवानी राजेन्द्र बनाम बनवारी किस्म मुकदमा धारा 12 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं को भिजवा देवे। निर्णय की प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। पक्षकार सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के न्यायालय में दिनांक 18.10.2021 को उपस्थित होवें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं याद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/10/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू